

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 13.6.22

:: परिपत्र ::

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. सिविल डायरी संख्या 4941/2018 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मनसुख दास में दिनांक 03.07.2018 को आदेश पारित किया गया। इस निर्णय की पालना में राजस्थान राज्य वादकरण नीति-2018 लागू की गई तथा सभी विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं मोनिटरिंग के लिए प्रकरणों की संख्या के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य वादकरण नीति-2018 के अनुसार सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य वादकरण नीति-2018 के तहत निम्नानुसार अभिशंसा की गई है:-

"The officer of Legal Service not below the rank of Joint Legal Remembrancer shall be posted in the Administrative Department, where number of Court cases is more than 1000. A Legal Cell, if so requires, comprising officer of Legal Service of appropriate rank shall be established at District level to ensure proper coordination between all the departments collectively and the Government Counsel. Moreover, another important function that these Legal Cells can also perform is to coordinate between different departments/instrumentalities/concerned officers etc. for the litigation. Especially where different departments of districts or different districts authorities are impleaded in any matter, the Legal Cell can perform as a centralized coordination hub between Government Counsels and State instrumentalities, which will in turn result into speedy follow up and disposal of matters."

राजस्थान राज्य वादकरण नीति-2018 के अनुसार सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.09.2019 एवं 27.08.2020 द्वारा राजस्थान विधि सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव चाहे गए थे, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः उक्त निर्णय के अनुसार जिन विभागों में 1000 से अधिक प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है, वहां विधि प्रकोष्ठ स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ राजस्थान विधि सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव इस विभाग को 2 माह की अवधि में अवश्यक ही भिजवाए ताकि नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(उषा शर्मा)  
मुख्य सचिव 6/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/समस्त निदेशक/समस्त विभाग
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(प्रवीर भटनागर)  
प्रमुख शासन सचिव